रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229376
CG-DL-E-02092021-229376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3289]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
No. 3289]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

का.आ. 3592(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के माथेरन और आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषणा के लिए संख्यांक का.आ. 133 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के,-

i. पैरा 4 में, खंड (क) के, उपखंड (i) में, "इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जाएगा" शब्द, रखे जाएंगे;

ii. पैरा 5 में, उप-पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2ए) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।"।

[फा.सं. 25/24/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 133(अ), तारीख 4 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 83(अ), तारीख 16 जनवरी, 2004 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

S.O. 3592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1), clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published vide number S.O. 133(E), dated the 4th February, 2003 for declaration of Matheran and surrounding region in the State of Maharashtra as an ecologically fragile area, namely:—

In the said notification, -

(i) in paragraph 4, in clause(a), in sub-clause(i), for the words "within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India", the words "and shall be got approved by the Competent Authority in the State Government for its effective implementation" shall be substituted;

(ii) in paragraph 5, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(2A) The tenure of the Monitoring Committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.".

[F. No. 25/24/2012-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),vide notification number S.O. 133(E), dated the 4th February, 2003 and was last amended vide number S.O. 83(E), dated the 16th January, 2004.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.02 22:04:58 +05'30'